

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 21 (7)सा.प्र./ग्रुप-4/2021

जयपुर, दिनांक:- 22/12/21

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

स्वीकृति संख्या 6/2021-22

विषय:- गांधीनगर, जयपुर स्थित छठी श्रेणी राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशचानुसार निम्नांकित छठी श्रेणी राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यों हेतु राशि रूपये 4.12 लाख (अक्षरे रूपये चार लाख बारह हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क. सं.	आवासी का नाम व आवास सं.	आवास के लिए पूर्व आवंटन		प्रस्तावित कार्य का विवरण			कुल राशि (लाखों में)
		ब्लॉक वर्ष	राशि	क.सं.	कार्य	राशि	
1	श्रीमती वंदना बैरवा एच-560 गांधीनगर जयपुर	2021-22 2022-23 2023-24		1	bath renovation	0.25	1.11
				2	mat tile	0.26	
				3	water tank	0.05	
				4	plaster repair	0.10	
				5	white wash	0.30	
					Total A	0.96	
					Cont. 2.5%	0.02	
					Total B	0.98	
					Prorata 13%	0.13	
2	श्री विष्णु मीणा एच-590 गांधीनगर जयपुर	2021-22 2022-23 2023-24		1	Bathroom Renovation	0.25	1.01
				2	Kitchen Renvoation work	0.20	
				3	white wash	0.30	
				4	flush door	0.12	
					Total A	0.87	
					Cont. 2.5%	0.02	
					Total B	0.89	
					Prorata 13%	0.12	
			3	श्रीमती हंसा देवी एच-556 गांधीनगर जयपुर	2021-22 2022-23 2023-24		
	2	MAT tile				0.26	
	3	plaster repair				0.10	
	4	jali door				0.07	
	5	replacement of section window				0.16	
	6	pvc door				0.10	
	7	water storage tank				0.05	
		Total A				0.99	
		Cont. 2.5%				0.02	
		Total B				1.00	
4	श्री मुकेश कुमार मीणा एच-552 गांधीनगर जयपुर	2021-22 2022-23 2023-24		1	pvc tank	0.10	0.87
				2	sewer line work	0.10	
				3	bath renovation	0.30	
				4	kitchen renovation	0.25	
					Total A	0.75	
					Cont. 2.5%	0.02	
					Total B	0.77	
					Prorata 13%	0.10	
Total						4.13	

यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन, 700- अन्य आवास (9) पंचम एवं छठी श्रेणी के आवास [90]- निर्माण कार्य-स्कीम 16-लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।

शासन सचिव, वित्त(बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.10.2021 के बिन्दु संख्या 7 में अंकित है कि दिनांक 01.04.2021 से 15.09.2021 तक ऑफलाइन जारी एएफएस ही सक्षम स्तर से ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त की जाने तथा नॉम मॉड्यूल पर बिलों के भुगतान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में fetch कर बिलों का भुगतान किया जाना अनुमत किया गया है। दिनांक 16.09.2021 से भविष्य में शिथिलन दिया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को दिनांक 16.09.2021 से ऑनलाईन ही प्राप्त किया जाना है। ऑनलाईन प्रस्ताव भिजवाने हेतु आपके कार्यालय को इस विभाग द्वारा लिखा जा चुका है।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि सम्बन्धित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा विभागीय स्वीकृति के विरुद्ध कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र आवासी से प्राप्त किया जावे।


समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

(डॉ. हरसेहीय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग ।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर ।
7. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-II, जयपुर ।
9. संबंधित आवासी ।
10. रक्षित पत्रावली


21/12/21
संयुक्त शासन सचिव (क)